

विधान परिषद के द्वितीय सत्र -2022 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित  
श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तरालेख।

-----

| प्रश्न                                                                                                                                                                                                        | उत्तर                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1(क) क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि उ० प्र० में राज्य मार्ग जिला मार्ग व अन्य ऐसे मार्ग जो रेलवे क्रॉसिंग से जुड़े हैं और जहाँ टी०वी०यू० एक लाख से अधिक है वहाँ ओवरब्रिज या अंडर पास बनाने की योजना है ? | प्रदेश में एक लाख से अधिक टी०वी०यू० वाले सम्पारों पर रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण रेलवे से निर्माण लागत में सहभागिता के आधार पर प्रदेश के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार किया जाता है। |
| (ख) यदि हो तो जनपद कानपुर नगर इस योजना से बनाये जाने वाले ओवरब्रिज व अन्डरपास की सूची सदन की मेज पर रखेंगे ?                                                                                                  | वित्तीय वर्ष 2022-23 की राज्य योजनान्तर्गत नये रेल उपरिगामी सेतुओं की कार्ययोजना अभी अन्तिमीकृत नहीं हुई है।                                                                                |
| (ग) इस योजना से बनाये जाने वाले ओवरब्रिज व अन्डरपास की कोई समय सीमा निर्धारित कर सदन को अवगत करायेंगे ?                                                                                                       | प्रत्येक रेल उपरिगामी सेतु की लम्बाई, चौड़ाई व भूमि की उपलब्धता के अनुसार पूर्णता अवधि पृथक-पृथक व सामान्यतः 24 से 30 माह होती है।                                                          |

बृजेश सिंह  
राज्यमंत्री  
लोक निर्माण विभाग।